अमोल सिंह

बनाम

एम.पी. राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2008 की 898)

15 मई, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860-धारा 302 सपठित धारा 34- हत्या - दो मृत्युकालिक कथन - हत्या के मकसद और तरीके के संबंध में असंगतता - नीचे के न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि- अपील पर, कहा गया : भले ही मृत्युकालिक कथनों में बहुलता हो, अगर यह स्वैच्छिक, विश्वसनीय और उपयुक्त मानसिक स्थिति और सुसंगत है, तो बिना किसी पुष्टि के भरोसा किया जा सकता है। -असंगतता की स्थिति में उसकी प्रकृति की जांच करनी होगी - मौजूदा मामले में, विसंगतियां भौतिक हैं- इसलिए, दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है- मृत्युकालिक कथन ।

अपीलकर्ता-अभियुक्त पर एक अन्य अभियुक्त के साथ एक महिला की मृत्यु का आरोप लगाया गया था। मृतक ने एएसआई (पीडब्ल्यू 8) के समक्ष मृत्युकालिक बयान दिये थे। इसके बाद उसने दोबारा मृत्युकालिक बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू 9) के समक्ष दिये। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपीगण को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्ध की पुष्टि की यद्यपि वहां एक से अधिक मृत्युकालिक कथन थे, के बीच भिन्नता की सीमा महत्वहीन थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

माना गया : 1. यह मृत्युकालिक घोषणा की बहुलता नहीं है बल्कि इसकी विश्वसनीयता अभियोजन पक्ष के मामले को महत्व देती है। यदि मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक, विश्वसनीय और स्वस्थ मानसिक स्थिति में दिया गया पाया जाता है, तो बिना किसी पुष्टि के भरोसा किया जा सकता है। कथन पूरे समय सुसंगत रहना चाहिए। यदि मृतक के पास ऐसे मृत्युकालिक कथन करने के विभिन्न अवसर थे, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हैं तो वे सुसंगत होने चाहिए। हालाँकि, यदि दिए गए एक मृत्युकालिक कथन और अन्य मृत्युकालिक कथन के बीच कुछ विसंगतियां पाई जाती हैं तो न्यायालय को विसंगतियों की प्रकृति की जांच करनी होगी, चाहे वे भौतिक हैं या नहीं। विभिन्न मृत्युकालिक कथनों की जांच करने के दौरान्, ऐसी स्थिति में, न्यायालय को इसकी जांच आसपास के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रकाश डालने होंगे।[पैरा 8] [960-डी,ई,एफ]

कुंडुला बाला सुब्रमण्यम् बनाम ए.पी. राज्य 1993 (2) एससीसी 684-संदर्भित।

2. उच्च न्यायालय ने कहा था कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-11) जो कार्यकारी अधिकारी(पीडब्ल्यू 9) द्वारा लेखबद्ध किये गये वे एफआईआर और पहले के मृत्युकालिक कथन के अनुरूप नहीं थे और एएसआई (पीडब्ल्यू 8) द्वारा लेखबद्ध मृत्युकालिक कथन(प्रदर्श पी-3) विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। बहुत सारे दूसरे जिस तरीके के संबंध में भी विसंगतियां मौजूद हैं माना जा रहा है कि उस पर मिट्टी का तेल छिड़का गया है और उसके बाद आग लगा दी। इसलिए, विसंगतियाँ, अंतिम मृत्युकालिक कथन को संदिग्ध बना देती हैं। विसंगतियों की प्रकृति ऐसी है कि वे निश्चित रूप से भौतिक हैं। विसंगतियों की प्रकृति को देखते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराना असुरक्षित होगा [पैरा 9 और 10] [960-जी,एच, 961-ए,बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 2008 की 898

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आपराधिक अपील संख्या 399/1993 में दिनांक 18.06.2007 के निर्णय एवं आदेश से

शिव सागर तिवारी, आर.आर. सिंह, आकांक्षा तिवारी और पूजा अपीलकर्ता के लिए।

सिद्धार्थ दवे, विभा दत्ता मखीजा और जेमटीबेन प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. सुनाया गया

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया है और डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ आजीवन कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना। अपीलकर्ता अमोल सिंह को ए2 के रूप में आरोप पत्र में दोषी ठहराया गया था।

3. मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार है :

मृतका सरस्वती बाई संदिग्ध चरित्र की महिला थी। अपने पति मोतीलाल द्वारा छोड़े जाने के बाद, उसने ए2 के साथ अवैध संबंध बनाए जिसने उसे अपने पास मालकिन की तरह रखा। प्रासंगिक समय पर, वह ग्राम बिछुआ में टपरिया (झोपड़ी) में निवास कर रही थी।

दिनांक 17 मार्च 1992 को लगभग रात्रि 8 बजे सरस्वती बाई की चीखें सुनकर, पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति राजेश गुप्ता (पीडब्लू 6), संतोष गुड्डा (पीडब्लू 2), मुकुंदी लाल (पीडब्लू 4), कालीराम (पीडब्लू 5), छिंदामी लाल (पीडब्लू 3), और चंद्र भूषण उसकी झोपड़ी की ओर दौड़कर आये। पारगमन में, उनमें से कुछ ने ए1 को भागते देखा

था। उन्हें सरस्वती बाई झोपड़ी के आंगन में गंभीर रूप से झुलसी हालत में पड़ी हुई मिलीं। पूछताछ करने पर उसने बताया कि दोनों अपीलकर्ताओं ने उसके शरीर पर केरोसिन डाला और आग लगा दी। उसके अनुसार, बटाईदार के रूप में खेती के लिए उसके द्वारा ए2 के प्रतिद्वंद्वी राजू सेठ की जमीन लेने के कृत्य से वह क्रोधित हो गया था।

कोटवार प्रहलाद सिंह (पीडब्लू1) द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पर और एएसआई बलराम (पीडब्लू8) ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 307 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। वह प्रहलाद सहित मौके पर पहुंचे और छिंदामी लाल (पीडब्लू3), कालीराम (पीडब्लू5), बाबूलाल और चंद्र भूषण की उपस्थिति में सरस्वती के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-3) लेखबद्ध किये।

सरस्वती बाई को तुरंत गाडरवारा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत देखकर डॉ. बी.पी. गुप्ता (पीडब्लू11) ने न केवल उसे इलाज के लिए भर्ती कराया बल्कि एसएचओ को एक मेमो (प्रदर्श पी-13) भी भेजा जिसमें उनसे मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई। नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आर.के. डिमोले (पीडब्लू 9) द्वारा उसकी मानसिक स्थिति के बारे में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 4:35 एएम से 4:50 एएम के बीच सरस्वती बाई का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया, उसके बाद 9:10 एएम पर अस्पताल में सरस्वती बाई ने अंतिम सांस ली। इसलिए प्रकरण को धारा 302 के तहत आने वाले एक प्रकरण के रूप में बदल दिया गया।

इन्क्वेस्ट जांच के बाद, सरस्वती बाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, डॉ. डी.एस. चौधरी (पीडब्लू 7) ने पाया कि सरस्वती बाई का शरीर, जो 3 महीने से अधिक समय से गर्भवती थी, 89% तक जल चुका था। उसके अनुसार, सरस्वती बाई

की मृत्यु का कारण बहुत ज्यादा जलने के कारण आया सदमा था। हालाँकि, उन्होंने फोरेंसिक जांच के लिए जली हुई साड़ी और ब्लाउज के बचे हुए टुकड़े, झुमके, नथनी, चूड़ियाँ और सिर के बालों का गुच्छा सुरक्षित रख लिया।

जांच के दौरान साड़ी और ब्लाउज के जले हुए टुकड़े, मिट्टी के तेल की एक कुपिया (कंटेनर), एक माचिस, ए2 से संबंधित एक जोड़ी जूते, एक लाठी और एक टूटी हुई माला (हार) मिले जिन्हें मौके से जब्त कर लिया गया। अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और डॉ. आर.के. पटेल (पीडब्लू10) को ए2 के दाहिने अग्रभुजा पर जलने की चोट भी मिली थी।

4.आईपीसी की धारा 302 के तहत और वैकल्पिक रूप से धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए जिन दो अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा विचारण में रहा, उन्होंने अपराध से इंकार कर दिया। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों को परीक्षित करवाया। सबूतों पर विचार करने पर, ट्रायल कोर्ट ने आरोपीगण को उनके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक की मौत का दोषी पाया। इसलिए, उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि पूर्वोक्त है। दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपील दायर की।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक रुख मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता को लेकर था। उच्च न्यायालय ने दलील खारिज कर दी और माना कि यद्यपि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन थे, लेकिन दोनों के बीच भिन्नता की सीमा नगण्य थी। यह नोट किया गया कि मृत्युकालिक कथन अभियुक्तगण द्वारा मृतक के शरीर को जलाने की घटना की जटिलता के बारे में सुसंगत थे और इसलिए ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई त्रुटि नहीं थी। इस प्रकार अपीलें खारिज कर दी गईं।

6. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तथाकथित मृत्युकालिक घोषणाओं में बहुत भिन्नता थी, जिससे साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित हुई।

7. दूसरी ओर रेस्पोंडेंट राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि मृत्युकालिक कथनों में मामूली अंतर की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

8. एक से अधिक मृत्युकालिक कथन के रूप में साक्ष्य की सराहना से संबंधित कानून सुव्यवस्थित स्थापित है। तद्नुसार, यह मृत्युकालिक कथनों की बहुलता नहीं बल्कि विश्वसनीयता है जिससे अभियोजन के मामले में वजन बढ़ जाता है। यदि मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक, विश्वसनीय और स्वस्थ मानसिक स्थिति में दिया गया पाया जाता है, तो उस पर बिना किसी पुष्टि के भरोसा किया जा सकता है। कथन पूरी तरह सुसंगत होना चाहिए। यदि मृतक के पास ऐसे मृत्युकालिक कथन करने के एक से अधिक अवसर थे, अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हैं तो वे समान ही होने चाहिए। (देखें : कुंडुला बाला सुब्रमण्यम् बनाम ए. पी. राज्य [(1993) 2 एससीसी 684] हालाँकि, यदि एक मृत्युकालिक कथन और दूसरे के बीच कुछ विसंगतियाँ देखी जाती हैं, तो न्यायालय को विसंगतियों की प्रकृति की जांच करनी होगी, अर्थात्, चाहे वे भौतिक हों या नहीं। ऐसी स्थिति में, विभिन्न मृत्युकालिक कथन की सामग्री की जांच करते समय, अदालत को आसपास के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में इसकी जांच करनी होती है।

9. ध्यान दिया जाना चाहिए है कि उच्च न्यायालय ने खुद अवलोकन किया था कि कार्यकारी अधिकारी, (पीडब्लू 9) द्वारा उसी रात लगभग 04:35 बजे लिखे गये मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी- 11), एफआईआर और एएसआई बलराम (पीडब्लू 8) द्वारा लिखित पहले के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी 3) के अनुरूप नहीं हैं, जहां तक

अलग-अलग उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। यह एकमात्र भिन्नता नहीं है। अनेक अन्य विसंगतियाँ, यहाँ तक कि उसके तरीके के संबंध में भी माना जा रहा है कि उस पर मिट्टी का तेल छिड़का गया और उसके बाद आग लगा दी गई।

10. इसलिए, विसंगतियाँ, अंतिम घोषणा को संदिग्ध बनाती हैं। विसंगतियों की प्रकृति ऐसी है कि वे निश्चित रूप से भौतिक हैं। ऐसा होने पर, अपीलकर्ता को दोषी ठहराना असुरक्षित होगा। दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को आरोपों से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में हिरासत में लिया जाना आवश्यक नहीं हो तो उसे तुरंत रिहा किया जावे।

के.के.टी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कनिष्का ऋषि (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।